

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-संजय शर्मा

अपील संख्या 123/2024

तारीख रजु 02 12 2024

रामजीलाल पुत्र लक्खा निवासी खिरनी, तहसील मलारना डूंगर ।

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर।

--- रेषपोडेन्ट

उपस्थिति

श्री जयप्रकाश सैनी एडवोकेट

- अपीलार्थी

पेरोकार राजरव

- रेषपोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 08.08.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा मिसल संख्या 188/2024 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को मौजा खिरनी के आराजी खसरा नम्बर 3112 रकबा 0.1 हैक्टेयर किस्म सिवायचक/चरागाह पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेषपोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेषपोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का फैसला विधि के विरुद्ध एवं पत्रावली के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी का निवास आराजी ख0नं0 3112 रकबा 0.01 है0 किस्म बरानी 2 वाके ग्राम खिरनी उप तहसील मलारना चौड में स्थित है और उक्त भूमि पर अपीलार्थी 35-40 वर्षों से घर बनाकर रिहायशी कर रहे हैं एवं अपने परिवारजनों का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का लगभग 35-40 वर्षों से लगातार कब्जा होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण संख्या 1 नायब तहसीलदार मलारना चौड अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये और बिना सुने ही दिनांक 25.09.2024 को निर्णय पारित कर दिया जो विधि के विपरीत है। अपीलार्थीगण भूमिहीन हैं जो कि उक्त भूमि का उपयोग रिहायश के लिये कर रहे हैं जिस पर अपीलार्थीयों द्वारा कोई काश्त नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थीगण ने पूर्व में भी कई बार अप्रार्थीगण के यहां उक्त भूमि की खातेदारी घोषित करने एवं उक्त भूमि का आवंटन करने हेतु कई बार आवेदन पेश किया लेकिन अपीलार्थीयों के आवेदन पर किसी प्रकार का आचार-विचार कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आराजी ख0नं0 3112 पर बने आवास पर सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं व बिजली पानी के कनेक्शन लग चुके हैं। समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत तरीके से 91 की कार्यवाही कर अपीलार्थीगण का कब्जा हटाना चाहते हैं जो गलत है। राजस्थान

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर


सरकार द्वारा बनायी गयी पॉलिसी दिनांक 27.12.2021 के अनुसार जो परिवार कम से कम 35 वर्षों से घर बना कर रह रहे हैं उनके आवास को नियमित करने की राय दी गई है। अपीलार्थीगण के पास उक्त भूमि के अलावा रिहाईश का कोई साधन नहीं है एवं बेदखल की स्थिति में अपीलार्थीगण के पास अपने व अपने परिवारजन के आवास के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। भूमि आराजी ख0नं0 3112 किस्म भूमि बारानी 2 को अपीलार्थीगण के कब्जे में से बेदखल करने हेतु किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करें और भविष्य में जब भी भूमि के आवंटन हेतु राजकीय केम्प लगे तो अपीलार्थीगण के पक्ष में उक्त भूमि का आवंटन किये जाने हेतु निर्देशित करें। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पुख्ता अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलार्थी निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर प्राप्त तामीलकर्ता के हस्ताक्षर अपीलार्थी के हस्ताक्षर से बिलकुल भिन्न है जिससे यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुई हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने ही विचाराधीन निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा पेश की गई अपील में अपीलार्थी का उक्त विवादित आराजी ख0नं0 3112 पर विगत 35-40 वर्षों से घर बनाकर रिहाईश करने का कथन किया है तथा कथन के समर्थन में वर्ष 2001 का पत्र धन्ना का निर्वाचन परिचय पत्र की प्रति पेश की है, जबकि पटवारी रिपोर्ट में पक्के कान को नवीन अतिक्रमण दर्शाया है। अधीनस्थ न्यायालय की उपलब्ध पत्रावली में ऐसा कोई पक्ष सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि अपीलार्थी द्वारा किया गया मकान का निर्माण नवीन अतिक्रमण हो।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार फरमायी जाती है तथा नायब तहसीलदार मलारना चौड का निर्णय दिनांक 25.09.2024 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली नायब तहसीलदार मलारना चौड को प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी की प्रोपर तामील करवाकर, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आवश्यक रूप से अन्दर एक माह निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर